

EXECUTIVE SUMMARY

***16 Issuance of No Dues Certificate.**

1. The Department of Urban Local Bodies has developed a system for the generation of No Dues Certificate (NDC) through the online Portal (www.ulbhryndc.org) which is duly integrated with Web-HALRIS portal of Department of Revenue & Disaster Management to provide a seamless mechanism with the provision of citizen interface by virtue of which citizen can clear the municipal dues such as property tax, fire tax, development charges, user charges etc. before execution of any registration of a property. No Dues Certificate was launched by the Department in August, 2020. The total number of No Dues Certificates generated for MC, Naraingarh during the current F.Y. 2023-24 from 1st April, 2023 to 5th December, 2023 is 926 and 3,27,517 are in all the remaining municipalities falling in the State of Haryana.

NOTE FOR THE PAD

***16 Issuance of No Dues Certificate.**

1. The department of Urban Local Bodies has a system for the generation of No Dues Certificate (NDC) through the online Portal (www.ulbhryndc.org) which is duly integrated with Web-HALRIS portal of the Department of Revenue & Disaster Management.
2. The Department of Revenue & Disaster Management vide letter No. 8630-STR-1-2020/4541 dated 21.07.2020 has issued directions regarding stoppage of registration of transfer deeds under the Registration Act, 1908 (16 of 1908).
3. The Department of Urban Local Bodies also observed that illegal colonies are mushrooming and municipalities are facing difficulties in collection of property taxes, development charges and other fees/charges.
4. In view of the above, the Department of Urban Local Bodies inserted section 96A of Haryana Municipal Corporation Act, 1994 and section 99A of Haryana Municipal Act, 1973 by making amendments in both these Acts on 22.03.2021. The relevant part of it is reproduced below:

- Haryana Municipal Corporation Act, 1994:

After section 96 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:

"96A. Issue of no dues certificate for registration of certain documents.– A document in respect of sale, transfer, lease, gift or alienation, in any manner, of any lands or buildings, situated in a municipal area, which is required to be registered under section 17 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), shall not be registered unless the said document is accompanied with a no dues

certificate issued by the Commissioner which shall remain valid for a period of three months or for such other time period, as may be specified by the Government, from time to time, certifying that all municipal dues including rents, taxes, cesses, charges, fees, fines and penalties in respect of such lands and/or buildings as mentioned in the document, payable or recoverable under this Act or the rules, bye-laws or regulations made thereunder, have been fully paid:

Provided that the Government may by order, exempt, wholly or partly, such lands and buildings, which have fallen for the first time or have fallen afresh in the municipal area as a result of a notification issued under section 3 of the Act, from the requirements of this section, for such duration, as the Government may deem fit."

- Haryana Municipal Act, 1973:

After section 99 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"99A. Issue of no dues certificate for registration of certain documents.- A document in respect of sale, transfer, lease, gift or alienation, in any manner, of any land or building, situated in a municipal area, which is required to be registered under section 17 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), shall not be registered unless the said document is accompanied with a no dues certificate issued by the authority as specified by the State Government, which shall remain valid for a period of three months or for such other time period, as may be specified by the State Government, from time to time, certifying that all municipal dues including rents, taxes, cesses, charges, fees, fines and penalties in

respect of such lands and/or buildings as mentioned in the document, payable or recoverable under this Act or the rules, bye-laws or regulations made thereunder, have been fully paid:

Provided that the State Government may by order, exempt, wholly or partly, such lands and buildings, which have fallen for the first time or have fallen afresh in the municipal area as a result of a notification issued under sections 3 and 4 of the Act, from the requirements of this section, for such duration, as the State Government may deem fit."

5. Accordingly, the department of Urban Local Bodies has developed a system for the generation of No Dues Certificate (NDC) through the online Portal (www.ulbhryndc.org) which is duly integrated with Web-HALRIS portal of the Department of Revenue & Disaster Management to provide a seamless mechanism with the provision of citizen interface by virtue of which citizen can clear the municipal dues such as property tax, fire tax, development charges, user charges etc. before execution of any registration of a property. No Dues Certificate (NDC) portal was launched by the Department of Urban Local Bodies in August, 2020. The portal has following salient features:
 - a. Citizen can **pay the dues online**.
 - b. Can **generate the No dues Certificate** directly from the Portal itself without visiting the municipal office.
 - c. Citizen can **raise online objection** for any correction in the property details, dues or status of property (Approved/Unapproved).
 - d. Municipalities **process all the objections online** through the No Dues Certificate Portal only.
 - e. An online mechanism for requesting **creation of new Property ID** is also provided on the No Dues Certificate Portal.
 - f. The total number of No Dues Certificates generated for MC, Naraingarh during the current F.Y. 2023-24 from 1st April, 2023

to 5th December, 2023 is 926 and 3,27,517 are in all the remaining municipalities falling in the State of Haryana.

6. For the portal, data of properties along with all the municipal dues such as property tax, fire tax, development charges, user charges, Area of Authority (i.e., TCPD, HSIIDC, HUDA, Housing Board, etc.), Status of Properties (Approved/Unapproved), Property Category (Residential/Commercial/Industrial/Institutional etc.) was prepared by the respective municipalities and was uploaded on the No Dues Certificate Portal.
7. The department aimed to have online mechanism whereby citizen can raise any objection/claim in case of any grievances regarding the details of the property or any dues prevailing and the concerned municipality shall resolve it online which shall be updated automatically on the portal. Once citizen provides or uploads the required documents, the No Dues Certificate is issued in timely manner.
8. The total recovery of all the dues via No Dues Certificate Portal of MC, Naraingarh from 01.04.2023 to 05.12.2023 is as follows: -

Type of Tax/Fee	Amount Collected (In Lakhs)
Property Tax	35.97
Fire Tax	1.55
Development Charges	60.92
Sewerage/Water Charges	0
Solid Waste Charges	12.56
Tatkal Fee	0.53
Total	111.53

पैड के लिए नोट

*16 अदेयता प्रमाणपत्र जारी करना

1. शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास ऑनलाइन पोर्टल (www.ulbhryndc.org) के माध्यम से 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC)' जारी करने के लिए एक सिस्टम है जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वेब-हैलरिस पोर्टल के साथ विधिवत एकीकृत है।
2. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र सं. 8630-एसटीआर-1-2020/4541 दिनांक 21.07.2020 द्वारा पंजीकरण अधिनियम, 1908 (16 के 1908) के तहत स्थानांतरण विलेखों के पंजीकरण को रोकने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
3. शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने यह भी देखा कि अवैध कॉलोनियां तेजी से बढ़ रही हैं और पालिकाओं को संपत्ति कर, विकास प्रभार और अन्य शुल्क/प्रभार संग्रह करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में धारा 96ए और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में धारा 99ए को दिनांक 22.03.2021 को शामिल किया है। इसका प्रासंगिक भाग नीचे पुनरूप प्रस्तुत किया गया है :

- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994:

*मूल अधिनियम की धारा 96 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी,
अर्थात्:-*

"96क कतिपय दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करना.- नगरपालिका क्षेत्र में स्थित किन्हीं भूमियों या भवनों का किसी रीति

में विक्रय, अन्तरण, पट्टा, उपहार या अन्यसंक्रामण के संबंध में कोई दस्तावेज जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 17 के अधीन पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है, तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक उक्त दस्तावेज आयुक्त द्वारा जारी किए गए बेबाकी प्रमाणपत्र के साथ न हो, जो तीन मास की अवधि के लिए या ऐसी अन्य समयावधि, जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, यह प्रमाणित करते हुए कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, उप-विधियों या विनियमों के अधीन भुगतानयोग्य या वसूलीयोग्य, दस्तावेज में यथा वर्णित ऐसी भूमियों तथा/या भवनों के सम्बंध में किरायों, करों, उपकरणों, प्रभारों, फीसों, जुर्मानों तथा शास्तियों सहित सभी नगरपालिका देयों का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया है, विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए वैध रहेगा:

परन्तु सरकार आदेश द्वारा ऐसी भूमियों, या भवनों जो अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के परिणामस्वरूप नगरपालिका क्षेत्र में प्रथम बार या नए सिरे से आए हैं, को, ऐसी अवधि, जो सरकार उचित समझे, के लिए इस धारा की अपेक्षाओं से पूर्णतः या भागतः छूट दे सकती है।

96ख. बिजली, जल तथा मलजल कनक्शन की स्वीकृति/जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना.—कोई भी व्यक्ति, किन्हीं परिसरों के लिए बिजली, जल तथा मलजल कनक्शन की स्वीकृति/जारी करने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारी को आवेदन करने से पूर्व, सम्बद्ध नगर निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा तथा कोई भी प्राधिकारी ऐसा कनक्शन तब तक स्वीकृत/जारी नहीं करेगा जब तक आवेदन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो।

व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'स्वीकृति/जारी करना' अभिव्यक्ति में डिसकनक्शन के रेस्टोरेशन या क्षमता/लोड इत्यादि में वृद्धि शामिल होगी।"

- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973:

मूल अधिनियम की धारा 99 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी,
अर्थात्:—

“कतिपय दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए बेबाकी प्रमाण-पत्र जारी करना.—नगरपालिका क्षेत्र, में स्थित किन्हीं भूमियों या भवनों का किसी रीति में विक्रय, अन्तरण, पट्टा, उपहार या अन्यसंक्रमण के संबंध में कोई दस्तावेज जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 17 के अधीन पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है, तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक उक्त दस्तावेज राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए बेबाकी प्रमाण-पत्र के साथ न हो, जो तीन मास की अवधि के लिए या ऐसी अन्य समयावधि, जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यह प्रमाणित करते हुए कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, उप विधियों या विनियमों के अधीन भुगतानयोग्य या वसूलीयोग्य, दस्तावेज में यथा वर्णित ऐसी भूमियों तथा/या भवनों के सम्बंध में किरायों, करों, उपकरों, प्रभारों, फीसों, जुर्मानों तथा शास्तियों सहित सभी नगरपालिका देयों का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया है, विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए वैध रहेगा:

परन्तु राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसी भूमियों, या भवनों जो अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के परिणामस्वरूप नगरपालिका क्षेत्र में प्रथम बार या नए सिरे से आए हैं,

को, ऐसी अवधि, जो राज्य सरकार उचित समझे, के लिए इस धारा की अपेक्षाओं से पूर्णतः या भागतः छूट दे सकती है।”

5. शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास ऑनलाइन पोर्टल (www.ulbhryndc.org) के माध्यम से 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC)' जारी करने के लिए एक प्रणाली है, जो कि राजस्व विभाग के वेब-हेलरिस पोर्टल के साथ विधिवत रूप से एकीकृत है। नागरिक इंटरफ़ेस के प्रावधान के साथ निर्बाध तंत्र जिसके आधार पर नागरिक किसी संपत्ति के किसी भी पंजीकरण के निष्पादन से पहले संपत्ति कर, अग्नि कर, विकास शुल्क, उपयोगकर्ता शुल्क आदि जैसे पालिका बकाया को अदा कर सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगस्त, 2020 में नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) पोर्टल लॉन्च किया गया था। पोर्टल की संक्षिप्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- क) नागरिक बकाया राशि का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं।
- ख) पालिका कार्यालय में आए बिना सीधे पोर्टल से ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र को प्राप्त कर सकते हैं।
- ग) नागरिक संपत्ति के विवरण, देय राशि या संपत्ति की स्थिति (स्वीकृत/अस्वीकृत) में किसी भी सुधार के लिए ऑनलाइन आपत्ति उठा सकते हैं।
- घ) पालिकाएं सभी आपत्तियों को केवल नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित करती हैं।
- ङ) नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल पर नई संपत्ति आई0डी0 के निर्माण का अनुरोध करने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र भी प्रदान किया गया है।
- च) नगरपालिका, नारायणगढ़ में वित्त वर्ष 2023-24 (1 अप्रैल, 2023 से 5 दिसंबर, 2023) नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल पर कुल 926 NDC

जारी हुए हैं तथा हरियाणा राज्य में स्थित अन्य सभी पालिकाओं में 3,27,517 NDC जारी हुए हैं।

6. पोर्टल के लिए, संपत्ति कर, अग्नि कर, विकास शुल्क, उपयोगकर्ता शुल्क, प्राधिकरण के क्षेत्र (यानी, टी0सी0पी0डी, एच0एस0आइ0आइ0डी0सी, हुडा, हाउसिंग बोर्ड, आदि) जैसे सभी नगरपालिका बकाया के साथ संपत्तियों का डेटा, की स्थिति, संपत्तियां (स्वीकृत/अस्वीकृत), संपत्ति श्रेणी (आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/संस्थागत आदि) संबंधित पालिकाओं द्वारा तैयार की गई थी और नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) पोर्टल पर अपलोड की गई थी।
7. विभाग का लक्ष्य ऑनलाइन तंत्र है जिससे नागरिक संपत्ति के विवरण या किसी बकाया राशि के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में कोई आपत्ति/दावा कर सकता है और संबंधित पालिका इसे ऑनलाइन हल करेगी जो पोर्टल पर स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगी। एक बार जब नागरिक आवश्यक दस्तावेज प्रदान या अपलोड कर देते हैं, तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) समय पर जारी किया जाता है।
8. नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल के माध्यम से समस्त बकाया राशि की कुल वसूली दिनांक 01.04.2023 से 05.12.2023 तक इस प्रकार है:—

कर/शुल्क का प्रकार	वसूल की गई राशि (लाख में)
संपत्ति कर	35.97
अग्नि कर	1.55
विकास शुल्क	60.92
सीवेज/पानी शुल्क	0
सोलिड वेस्ट शुल्क	12.56
तत्काल शुल्क	0.53
कुल	111.53
